



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-34/2023

दिनांक- 27 जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कन्धरापुर

चोरी गये मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण – वादी इन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी दरौरा (देवखरी) थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ के द्वारा एक प्रा0पत्र पुलिस अधीक्षक के शि0प्र0सं0 332 दिनांकित 14.11.22 को दिया था कि दिनांक 15.10.2022 को रात्रि में वादी अपने दुकान पर सो रहा था कि सेटरिंग बांस , बल्ली की दुकान गोपालम् ट्रेडर्स राधा रेस्टोरेंट के आगे दरौरा रोड पर स्थित है। अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि में आकर वादी का मोबाइल रियलमी-9 आई कम्पनी सिम नं0 7839XXXXXX, 831XXXXX व कैश लाकर की चाफी कमरे से लेकर लाकर को खोल कर उसमे रखा 12,000 रूपया नगद बिक्री का व बैंक सहित जिसमें आधार कार्ड व अन्य काजात चुरा लिए जाते समय बाहर सभी कागजात फेंक कर मोबाइल व रुपया लेकर चले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/22 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 27.01.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अमीत कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी ग्राम गद्दीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 को देसी शराब के ठेके के पास मंदूरी से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल रियल-मी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 269/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- अमीत कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी ग्राम गद्दीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष ।

बरामदगी-

एक अदद मोबाइल रियल-मी निला कलर IMEI NO 8607560XXXXXXXXXX, 860756XXXXXXXXXX

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

थाना- तरवाँ

छेड़खानी के आरोप में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)– वादिनी थाना तरवाँ जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी लड़की उम्र 14 वर्ष को दिनांक 24-01-2023 को समय लगभग 11. बजे रात में एक बाल अपचारी द्वारा जबरदस्ती छेड़खानी किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 0अ0सं0 13/23 धारा 354 (क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक-27.01.2023 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को समय 11.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

4. पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 13/2023 धारा 354 (क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना तरवा आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-30नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- अतरौलिया

- ➡ दिनांक- 29.04.2002 को वादी सतीश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 किशुन प्रसाद निवासी गौरैया, थाना रसड़ा, जनपद बलिया ने थाना अतरौलिया पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. हरिहर नाथ कानू पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू, 2. रामनाथ पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू निवासी ईश्वरपुर पड़नी चौक बाजार कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा मिट्टी तेल झिड़कर जला दिया गया, जिससे वादी की बहन इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।
- ➡ जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 98 सन् 2002 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, 34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।
- ➡ मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है।
- ➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 27.01.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1. हरिहर नाथ कानू पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू, 2. रामनाथ पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू निवासी ईश्वरपुर पड़नी चौक बाजार कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।